न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– कमर चौधरी
आई०ए०एस०

प्रा0 पत्र सं0 07/2022 प्रा.पत्र सुपुर्दगीनामा

फिरोज खान पुत्र श्री छन्गा जाति मुसलमान निवासी मुल्तानी मौहल्ला, बस नन्देरा तहसील कामां जिला भरतपुर राज0 जरिये मुख्त्यार आम अरमान पुत्र असगर निवासी बस्सी मउ पुलिस थाना व तहसील फिरोजपुर झिरका जिला नूंह हरियाणा

...प्रार्थी

बनाम

सरकार जरिए राजकीय अधिवक्ता

...अप्रार्थी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा एफआईआर नं0 396/2021 पुलिस थाना रामगढ पचवारा जिला दौसा जुर्म दफा 3, 5, 8 राजस्थान गोवंश पशु अधिनियम, 1995

उपस्थितः1. श्री अब्दुल मजीद, अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांकः15.02.2022

संक्षिप्त विवरण प्रा0 पत्र सुपुर्दगीनामा इस प्रकार है कि थानाधिकारी पुलिस थाना रामगढ पचवारा जिला दौसा द्वारा दिनांक 28.12.2021 को दो गाय व दो बछडे भरकर ले जा रहे बोलेरो पिक अप वाहन संख्या आरजे 05 जीबी 7565 को अभियोग संख्या 396/2021 अंतर्गत धारा 3, 5, 8 गोवंश अधिनियम 1995 में जब्त कर लिया गया। पुलिस थाना रामगढ पचवारा द्वारा उक्त जब्तशुदा उक्त वाहन संख्या आरजे 05 जीबी 7565 को सुपुर्दगी पर दिये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। पुलिस थाना रामगढ पचवारा से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा की एक प्रति राजकीय अधिवक्ता को दी गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी है कि थानाधिकारी पुलिस थाना रामगढ पचवारा जिला दौसा द्वारा दिनांक 28.12.2021 को दो गाये व दो बछडे भरकर ले जा रहे बोलेरो पिक अप वाहन संख्या आरजे 05 जीबी 7565 को राजस्थान गोवंश अधिनियम 1995 की धारा 3, 5, 8 के अंतर्गत जब्त कर लिया गया। उक्त गोवंश पशुधन को प्रार्थी द्वारा लालसोट से खरीद कर पिक अप वाहन में भरकर अन्यत्र ले जा रहे थे, जिसको पुलिस थाना रामगढ पचवारा द्वारा गोवंश अधिनियम में जब्त किया गया है। पुलिस थाना रामगढ पचवारा द्वारा जब्तशुदा उक्त वाहन थाने में खडा–खडा खराब हो रहा है। वाहन के थाने में अनावश्यक खडा रहने से प्रार्थी को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। पुलिस द्वारा प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण कर लिया गया है। उक्त वाहन की पुलिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.03.30 10:20:06 IST
Reason: SelfAttested

को अनुसंधान में अब कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी न्यायालय की संतुष्टि पर सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पेश करने को तैयार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पुलिस थाना रामगढ पचवारा द्वारा जब्तशुदा वाहन संख्या आरजे 05 जीबी 7565 पिक अप को सुपुर्दगी पर प्रार्थी को दिये जाने के आदेश प्रदान करावें।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि पुलिस थाना रामगढ पचवारा द्वारा वाहन संख्या आरजे 05 जीबी 7565 पिक अप को अभियोग संख्या 396/2021 में राजस्थान गोवंश अधिनियम 1995 के अंतर्गत दिनांक 28.12.2021 को जब्त किया गया था। पैरोकार सरकार द्वारा यह भी दलील दी कि थाना रामगढ पचवारा द्वारा प्रकरण में जब्तशुदा वाहन संख्या आरजे 05 जीबी 7565 को गो वंश दो गायें व दो बछडो का अवैध परिवहन करते हुए जब्त किया गया है। थाना रामगढ पचवारा द्वारा चार्जशीट नंबर 443/2021 धारा 3, 5, 8 राजस्थान गोवंश अधिनियम में मुल्जिम के विरूद्ध दिनांक 11.01.2022 को माननीय न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट लालसोट में पेश की जा चुकी है। सिविल कोर्ट में प्रकरण विचाराधीन होने से उक्त वाहन को प्रार्थी को सुपुर्दगी में नहीं दिया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस पर मनन किया गया। पत्रावली तथा राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट पुलिस थाना रामगढ पचवारा का भी अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पुलिस थाना रामगढ पचवारा जिला दौसा द्वारा दिनांक 28.12.2021 को जुर्म धारा 3, 5, 8 राजस्थान गो वंश अधिनियम 1995 के अंतर्गत 2 गायें एवं 2 बछडों को मय पिक अप वाहन संख्या आरजे 05 जीबी 7565 जब्त किया जाकर एफआईआर संख्या 396/2021 दर्ज की गई। पुलिस थाना रामगढ पचवारा द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्रकरण में थाना रामगढ पचवारा द्वारा चार्जशीट संख्या 443/2021 दिनांक 31.12.2021 माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट लालसोट में पेश की जा चुकी है। पुलिस अनुसंधान में अब उक्त जब्तशुदा वाहन की कोई आवश्यकता नहीं होने से राजस्थान गो वंशीय पशु(वध का प्रतिषेध व अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 6 क (3) में प्रदत्त शक्तियों के आलोक में हम प्रार्थी को उक्त वाहन की सुपुदर्गी दिया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा स्वीकार किया जाता है। पुलिस थाना रामगढ पचवारा द्वारा जब्त उक्त वाहन को पांच लाख रूपये की सुपुर्गगी एवं पांच लाख रूपये की जमानत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने पर वाहन सुपुर्दगी पर दिये जाने के आदेश पारित किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.03.30 10:20:06 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 15.02.2022 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा